न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2022/301 दर्ज तिथिः–01.09.2022

1. दिनेश राठी पुत्र देवीलाल
   जाति माहेश्वरी निवासी डाबली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

..................वादी

बनाम

1. पूरोंदेवी पत्नी रावता
2. भीमाराम पुत्र प्रतापाराम
3. मफा पुत्र रावता
4. मलाराम पुत्र प्रतापाराम उर्फ पताराम
5. मांगा पुत्र रावता
6. रूखमोंदेवी पत्नी प्रतापाराम उर्फ पताराम
7. सांवला पुत्र रावता
   जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.................असल प्रतिवादीगण

8. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई कृषि विकास शाखा गुडामालानी
9. तहसीलदार गुडामालानी

...................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी– श्री डालूराम चौधरी।
प्रतिवादीगण – एकतरफा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188
राज. काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 12.08.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:28:40 IST
Reason: SelfAttested

किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 147/7.3815 है. वाके ग्राम बेरीगांव तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण व असल प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामील अनुस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादी की तरफ से साक्ष्य प्राप्त की जाकर अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1303 दिनांक 24.05.2024 के द्वारा कुर्रेजात

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:28:40 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट प्रेषित की। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई।

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074—2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 147/7. 3815 है0 वाके ग्राम बेरीगांव तहसील गुडामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह—काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:28:40 IST
Reason: SelfAttested

होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:28:40 IST
Reason: SelfAttested

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 147/7.3815 है0 वाके ग्राम बेरीगांव तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
दिनेश पुत्र देवीलाल	पूर्ण	147	0.3355	बा.सो.
किता 01 रकबा 0.3315 हैक्टेयर				
सांवला पुत्र रावता	2097 / 17615	147	7.0460	बा.सो.
मांगा पुत्र रावता	2097 / 17615			

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:28:40 IST
Reason: SelfAttested

मफा पुत्र रावता	2097/17615			
पूरो पत्नी रावता	2097/17615			
मलाराम पुत्र पताराम	7689/35230			
भीमाराम पुत्र पताराम	7689/35230			
रूखमोदेवी पत्नी पताराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार *रहन— भीमाराम मलाराम रूखमोदेवी का पूर्ण हिस्सा SBI शाखा गुढामालानी*	1538/17615			
किता 01 रकबा 7.0460 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता की आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:28:40 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:28:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2022 / 301 दर्ज तिथिः—01.09.2022

1. दिनेश राठी पुत्र देवीलाल
   जाति माहेश्वरी निवासी डाबली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

.................वादी

बनाम

1. पूरोंदेवी पत्नी रावता
2. भीमाराम पुत्र प्रतापाराम
3. मफा पुत्र रावता
4. मलाराम पुत्र प्रतापाराम उर्फ पताराम
5. मांगा पुत्र रावता
6. रूखमोंदेवी पत्नी प्रतापाराम उर्फपताराम
7. सांवला पुत्र रावता
   जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.................असल प्रतिवादीगण

8. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई कृषि विकास शाखा गुडामालानी
9. तहसीलदार गुडामालानी

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ता – श्री डालूराम चौधरी।
प्रतिवादीगण – एकतरफा।
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

निर्णय तिथिः— 12.08.2024

दावा वादी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:28:40 IST
Reason: SelfAttested

आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 147/7.3815 है० वाके ग्राम बेरीगांव तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

<table>
<tr><th>खातेदार</th><th>हिस्सा</th><th>खसरा</th><th>रकबा</th><th>किस्म</th></tr>
<tr><td>दिनेश पुत्र देवीलाल</td><td>पूर्ण</td><td>147</td><td>0.3355</td><td>बा.सो.</td></tr>
<tr><td colspan="5">किता 01 रकबा 0.3315 हैक्टेयर</td></tr>
<tr><td>सांवला पुत्र रावता</td><td>2097/17615</td><td rowspan="7">147</td><td rowspan="7">7.0460</td><td rowspan="7">बा.सो.</td></tr>
<tr><td>मांगा पुत्र रावता</td><td>2097/17615</td></tr>
<tr><td>मफा पुत्र रावता</td><td>2097/17615</td></tr>
<tr><td>पूरो पत्नी रावता</td><td>2097/17615</td></tr>
<tr><td>मलाराम पुत्र पताराम</td><td>7689/35230</td></tr>
<tr><td>भीमाराम पुत्र पताराम</td><td>7689/35230</td></tr>
<tr><td>रूखमोदेवी पत्नी पताराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार रहन— भीमाराम मलाराम रूखमोदेवी का पूर्ण हिस्सा SBI शाखा गुढामालानी</td><td>1538/17615</td></tr>
<tr><td colspan="5">किता 01 रकबा 7.0460 हैक्टेयर</td></tr>
</table>

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:28:40 IST
Reason: SelfAttested

यह डिक्री आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:28:40 IST
Reason: SelfAttested